वर्ष 2008-2009 के लिए राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण पुरस्कार तथा स्वच्छ प्रौद्योगिकी हेतु राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रण

वर्ष 2008-2009 के लिए राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण पुरस्कार तथा स्वच्छ प्रौद्योगिकी हेतु राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार के लिए उद्योगों में अत्यधिक प्रदूषित उद्योगों की निम्नलिखित अभिनिर्धारित श्रेणियों के लिए नामांकन आमंत्रित किए जाते हैं, जिन्होंने प्रदूषण का निवारण करने वाली प्रौद्योगिकियों, उत्पादों अथवा पद्धतियों के विकास अथवा इस्तेमाल में तथा पर्यावरणीय समस्याओं का नवीन हल तलाशने में महत्वपूर्ण तथा उल्लेखनीय योगदान दिया हो :-

बड़े पैमाने के उद्योग:

(1) चीनी (2) उवर्रक (3) सीमेंट (4) फर्मेन्टेशन तथा डिस्टिलरी (5) एल्युमिनियम (6) पेट्रो-केमिकल्स (7) थर्मल पावर (8) कास्टिक सोडा (9) ऑयल रिफाइनरी (10) सल्फ्यूरिक एसिड (11) टैनरीज (12) कापर स्मेल्टिंग (13) जिंक स्मेल्टिंग (14) आयरन एवं स्टील (15) पल्प एवं पेपर (16) डाई एवं डाई इंटरमीडिएट्स (17) कीटनाशक (18) फार्मेस्यूटिकल्स

लघु उद्योग:

1. टैनरीज 2. पल्प एवं पेपर 3. डाई और डाई इंटरमीडिएट्स 4. कीटनाशक 5. फार्मेस्यूटिकल्स

पुरस्कारों की प्रकृति:

राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण पुरस्कार 23 उद्योगों को (18 बड़े तथा 5 लघु स्तर के उद्योगों को) प्रदान किए जाऐंगे, जो उपर्युक्त उल्लिखित उद्योग की प्रत्येक श्रेणी के लिए, वित्तीय वर्ष 2008-2009 के दौरान उनके कार्य निष्पादन के आधार पर होंगे । स्वच्छ प्रौद्योगिकी के लिए राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार विशेष रुप से स्वच्छ प्रौद्योगिकी अपनाने को दृष्टिगत रखते हुए इन उद्योगों में से एक श्रेष्ठतम उद्योगों को प्रदान किया जाता है । पुरस्कार में रजत ट्राफी और प्रशस्ति पत्र के साथ एक लाख रुपए का नकद इनाम शामिल है ।

पात्रता:

उपर्युक्त श्रेणी के उद्योगों से संबद्ध औद्योगिक इकाईयां जो निर्धारित मानदंड पूरे करती हो, उपर्युक्त पुरस्कारों के लिए नामांकन हेतु पात्र होगी । अधिक जानकारी के लिए इस मंत्रालय की वेबसाइट http://envfor.nic.in देखें अथवा अधोहस्ताक्षरी अथवा अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नई दिल्ली अथवा संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष से संपर्क करें ।

नामांकन जमा कराने का तरीका:

राष्ट्रीय पर्यावरणीय पुरस्कारों यथा इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार आदि के विगत पुरस्कार प्राप्तकर्त्ता अथवा उद्योग एवं वाणिज्य से संबंधित किसी संगठन यथा औद्योगिक अथवा वाणिज्यिक एसोसिएशन्स अथवा औद्योगिक संवर्धन निगम, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समितियां पुरस्कारों हेतु उपर्युक्त उद्योगों की श्रेणियों में से किसी औद्योगिक इकाई को, संबंधित उद्योग के आवेदन सहित विधिवत् रुप से भरे हुए निम्नलिखित निर्धारित प्रारुप में नामांकित कर सकते हैं ।

1. औद्योगिक इकाई का नाम व पता 2. प्रस्तावक (व्यक्ति/संगठन) का नाम व पता 3. औद्योगिक इकाई (बड़े पैमाने की/लघु उद्योग) की श्रेणी 4. विगत में प्राप्त किए पुरस्कारों, यदि कोई हो, का विवरण 5. औद्योगिक इकाई द्वारा दिया गया महत्वपूर्ण योगदान (नवीन स्वच्छ प्रौद्योगिकी के बारे में विशेष योगदान, सततता, व्यापक प्रयोक्ताओं अथवा लक्ष्य समूहों आदि के बारे में एक संक्षिप्त लेख):

स्व-नामांकन विचारणीय नहीं होगा ।

प्रस्तावक द्वारा विधिवत् प्रमाणित नामांकन दो प्रतियों में अधोलिखित को प्रेषित करें

अपर निदेशक (डा. आर.के.सूरी)
प्रदूषण नियंत्रण प्रभाग
पर्यावरण एवं मंत्रालय
पर्यावरण भवन
सी.जी.ओ काम्पलैक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली - 110003
(दूरभाष संख्या 011-24361668 इ-मेल : rk_suri@yahoo.co.uk)

नामांकन प्राप्ति की अंतिम तिथि 31 अगस्त, 2009 है ।